राजस्थान मदरसा बोर्ड़, जयपुर

प्रथम तल, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल भवन,

2—2 ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर फोन— 0141—2702477

क्रमांक : रामबो/जय/लेखा/निविदा/08/ दिनांक :

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :—**निविदा सूचना प्रकाशन बाबत्।**

महोदय,

राजस्थान मदरसा बोर्ड़, जयपुर द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक रामबो/जयपुर/1/2008 दिनांक 02.08.08 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन सा.वि.नि. नियम भाग—II के नियम 41 के अनुसार व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु सलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त सूचना का प्रकाशन निम्नलिखित में करवाने का श्रम करें :—

1. दो राज्य स्तरीय समाचार—पत्र।
   (जिसमें एक का प्रसारण 50,000 प्रतियों या अधिक में हो तथा जो प्रत्येक जिले में पहुंचने वाले संस्करण में प्रकाशित हो।)
2. अखिल भारतीय स्तर का समाचार—पत्र।
3. किसी एक ट्रेंड जनरल में जो निविदायें आमंत्रित करने की सूचनाओं को प्रकाशित करने की विशेषज्ञता रखता हो।

इसके अतिरिक्त निविदा सूचना सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की बेवसाइट पर भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। सूचना में आपके विभाग की बेवसाईट का उल्लेख किया गया है।

नियमानुसार निविदा सूचना का प्रकाशन संबंधित सूचना के अनुसार करवाकर बिल एवं संबंधित पत्र (समाचार—पत्र) के साथ भिजवाने की व्यवस्था करने का श्रम करें।

संलग्न :— निविदा सूचना।
मय हार्ड कॉपी (CD)

भवदीय,

सचिव,
राजस्थान मदरसा बोर्ड़,
जयपुर

प्रतिलिपि :— उपशासन सचिव, प्रा. शिक्षा (आयोजना) को शिक्षा विभाग की बेवसाइट पर डाउनलोड करने हेतु।

सचिव,
राजस्थान मदरसा बोर्ड़,
जयपुर

राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान सरकार, जयपुर।

निविदा सूचना

निविदा संख्याः— 1/2008

निम्न सामग्री के प्रदाय के लिए मुहरबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	वस्तुओं के नाम	विनिर्देश	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत	बयाना राशि
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर चेयर	विस्तृत विवरण निविदा प्रारूप में उल्लेखित हैं।	530	5.30 लाख	2 प्रतिशत (अनु. लागत का)
2.	कम्प्यूटर टेबिल	विस्तृत विवरण निविदा प्रारूप में उल्लेखित है।	600	12.00 लाख	2 प्रतिशत (अनु. लागत का)
3.	स्टूडेण्ट चेयर	विस्तृत विवरण निविदा प्रारूप में उल्लेखित है।	3650	36.50 लाख	2 प्रतिशत (अनु. लागत का)
		योग		53.80 लाख	107600.00

1. बयाना राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. निविदाऍं विहित प्रारूप में ही प्रस्तुत की जाएंगी जिन्हें आवेदन करके इस कार्यालय से रूपये 100/— के नकद भुगतान करने पर या अध्यक्ष राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर से रेखांकित पोस्टल आर्डर भेजकर प्राप्त किया जा सकेगा। इस राशि का प्रतिदाय नहीं किया जा सकेगा। निविदा शर्तो को निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipronline.org एवं शिक्षा विभाग की वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर भी देखा जा सकता हैं। निविदा प्रारूप को वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है तथा उसकी कीमत अलग से अग्रिम धनराशि के साथ डिमान्ड ड्राफ्ट या नगद जमा कराई जावेगी।
3. निविदाऐं ''दो कवर'' प्रणाली में प्रस्तुत की जाएगी। प्रथम कवर में ''तकनीकी प्रस्ताव'' स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा। इस प्रस्ताव में निविदा प्रारूप शुल्क, बयाना राशि, बिक्रीकर पंजीयन प्रमाण पत्र, बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र, विनिर्माता होने का प्रमाण पत्र, वित्तीय हैसियत एवं क्षमता की कोई सूचना निष्पादन का पूर्व अनुभव, प्रदाय की जाने वाली सामग्री के विनिर्देश एवं केटलॉग आदि तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जो ''पूर्व योग्यता'' के लिए आवश्यक समझी जाए, प्रस्तुत की जा सकती है, दूसरे कवर में जिस पर ''वित्तीय प्रस्ताव' अंकित होगा व सामग्री का मूल्य उल्लेखित होगा। वित्तीय प्रस्ताव का कवर सिर्फ ''तकनीकी प्रस्ताव'' के योग्य निविदादाताओं को खोला जाएगा।
4. निविदाऐं दिनांक 25.8.2008 को सायं 5.00 बजे तक या उसके पूर्व पहुँच जानी चाहिए। निविदाऐं दिनांक 26.8.2008 को प्रातः 11.00 बजे तकनीकी प्रस्ताव खोले जायेंगे। तथा तकनीकी प्रस्ताव में सफल निविदादाताओं के वित्तीय प्रस्ताव सायं 3.00 बजे खोले जाऐंगे।
5. मदरसा बोर्ड न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये रद्द कर सकेगी। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. जो भी निविदाएं विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होंगी या वांछित बयाना राशि के बिना प्राप्त होंगी, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।
7. लघु उद्योग इकाईयों को निदेशक, उद्योग या उसके प्रतिनिधि द्वारा जारी किए गए पंजीयन पत्र व उन मदों जिनके लिए पीपीसी में अधिकृत किया गया है को बयाना राशि 0.5 प्रतिशत का संदाय करना होगा।
8. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

अध्यक्ष

राजस्थान मदरसा बोर्ड,

जयपुर।

<u>निविदा प्रारूप शुल्क रू. 100/–</u>

राजस्थान मदरसा बोर्ड़,
जयपुर

फर्नीचर आपूर्ति के लिए निविदा प्रारूप

निविदा सूचना जारी होने की दिनांक :–	02.08.08
निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :–	25.08.08 सायं 5.00 बजे तक
निविदा प्रस्ताव खोलने का समय :– 26.08.08	तकनीकी निविदा– प्रातः 11.00 बजे
	वित्तीय निविदा– सायं 3.00 बजे

दूरभाष नम्बर :–

अध्यक्ष,
राजस्थान मदरसा बोर्ड़,
प्रथम मंजिल, आरएसटीबी भवन,
2–2ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर, राजस्थान–पिन कोड़–302004

निविदा प्रारूप

अध्यक्ष,

राजस्थान मदरसा बोर्ड़,

जयपुर।

विषय :– कम्प्यूटर चेयर, कम्प्यूटर टेबल एवं स्टूडेंट चेयर आपूर्ति के लिए निविदा।

1. मैं/हम .... (निविदा) प्रस्तुत करनी वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता, दूरभाष/फैक्स संख्या) के लिए आवेदन कर रहा/ रहे/हूँ/हैं।

2. निविदा शुल्क की राशि .... नकद रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा/रेखांकित पोस्टल ऑर्डर संख्या .... के जमा कर दी गई है।

3. निविदा सूचना में वर्णित शर्तों की पालना के लिए सहमत है तथा निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं।) की भी पालना करने के लिए मैं/हम सहमत हैं।

4. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न ''जी शिड्यूल'' में प्रदाय की जाने वाली सामग्री के नाम के सामने दरें अंकित कर इस प्रस्ताव को ''वित्तीय प्रस्ताव'' के लिफाफे में रख दिया गया है।

5. उक्त दरें अनुबंध अवधि से तीन माह के लिए विधि मान्य होंगी। इस अवधि को परस्पर सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

6. अमानत राशि अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड़, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड़ ड्राफ्ट /बैंकर चैक संख्या .... दिनांक .... जो .... बैंक के पक्ष में देय है। ''तकनीकी प्रस्ताव'' के साथ संलग्न है।

7. बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र तथा वर्ष 2007–08 का बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8. विनिर्माता/डीलर होने का घोषणा पत्र एस.आर. 11 तकनीकी प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

वास्ते फर्म का नाम व पता

मय टेलीफोन नंबर

Annexure -- S.R. 11

DECLARATION BY THE TENDERES

I/We Declare that I am/we are bonafide Manufacture/ Authorised dealer/Whole sellers/Sole distributors/Dealers/ Sole marketing agent in the good/ stores equipments for which I/we have tendered.

If this declaration is found to be incorrect them without prejudice to any other action that may be taken, my/our security may be forfeited in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the tenderer

<u>खुली निविदा एवं संविदा की शर्ते</u>

टिप्पणीः— निविदादाता को निविदा देते समय इन शर्तो को बहुत ध्यानपूर्वक पढ लेना चाहिए तथा पूर्णरूपेण पालना करना चाहिए।

1. निविदादाता को निविदा ''दो कवर प्रणाली'' में मुहरबंद लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम कवर में जिस पर ''तकनीकी प्रस्ताव'' स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा, में निविदादाता को निविदा उल्लेखित रीति से प्रारूप शुल्क, बयाना राशि एवं बिक्रीकर पंजीयन प्रमाण पत्र, बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र, वास्तविक डील आदि होने का प्रमाण पत्र (एस आर 11) वित्तीय हैसियत एवं क्षमता की सूचना, निष्पादन का पूर्व अनुभव, प्रदाय की जाने वाली सामग्री के विनिर्देश (केटलॉग आदि सहित) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जो पूर्व योग्यता के लिए आवश्यक समझे जावें प्रस्तुत किये जा सकेंगे। दूसरे कंवर में ''वित्तीय प्रस्ताव'' स्पष्ट रूप से अंकित होंगे जिसमें सामग्री की दरों का निहित प्रारूप में उल्लेख होगा। ''वित्तीय प्रस्ताव'' सिर्फ उन्हीं निविदादाताओं का खोला जावेगा। जनकी तकनीकी योग्यता होगी।
2. निविदाऐं सामग्री के वासतविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी अतः एस आर प्रारूप 11 में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसका सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौप सकेगा न हस्तान्तरित कर सकेगा।
4. निविदादाता अनिवार्य रूप से बिक्रीकर विभाग द्वारा जारी जारी पंजीयक प्रमाण पत्र की प्रति तथ संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकरण से जारी बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर करेगा जिसके बिना निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जाएगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोइ त्रुटिया एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।
7. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए जैसा कि कार्यादेश में उल्लेख होगा तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए, किन्तु

चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के कार्यादेश में उल्लेखित स्थानों पर दी जायेगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए।

8. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं है, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जायेगा जबकि केन्द्रीय बिक्रीकर को इसमें शामिल किया जाएगा।

9. राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

10. निविदायें, उनके खाले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।

11. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रें आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों रेखाचित्रें आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अध्यक्ष मदरसा बोर्ड से जानकारी लेगा।

12. **विनिर्देश** :–

(I) प्रदाय की गयी सभी वस्तुऐं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

(II) अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएँ विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(III) वारंटी/गारंटी खण्ड :– निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से कितने दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि उल्लेखित दिनों/माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(IV) मशीनों एवं उपकरणों के मामलों में भी, उक्त खण्ड (III) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

13. **निरीक्षण** :– (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकोशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

14. (ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे

उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नये प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. **नमूने** :– अनूसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएगें। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाडे द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी. आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए।

16. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाऐंगे।

17. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट, हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप से उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हो जहाँ आवश्यक हो परीक्षण भी कराया जाएगा तथा परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप सामग्री को ही स्वीकार किया जाएगा।

20. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

21. रद्द की गयी वस्तुओं को निवदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या

नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसके निविदादाता की जोखिम एवं उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

22. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्त कर्ता को माल सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसीव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जाँच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

23. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

24. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

25. **सुपुर्दगी अवधि** :– (1) निवदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, सचिव, मदरसा बोर्ड़, राजस्थान द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा।

(2) मात्रा की सीमा– आदेश को फिर से देना :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गई शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गई मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था समिति निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी उसकी निविदादाता से वसूली की जावेगी।

(3) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता, किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

26. **बयाना राशि (क)** निविदा के साथ बयाना राशि रू. .... का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रस्तुत करना पडेगा जिसके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) बयाना राशि से आंशिक छूट :– उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के संबंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटो प्रति प्रस्तुत करने पर, निविदायें आमंत्रित करने की सूचना दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

27. **बयाना राशि का समपहरण** :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा :–

(1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

28. (1) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाडा चुकाकर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(2) आर.आर. केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(3) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

(4) भुगतान करने पर किये गये प्रेक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।

29. (1) **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप** :– (1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेक्षण के उस दिनांक से जिसकी निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(2) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(5) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(II) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क दी जाएगी।

30. **बीमा** :– (1) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जावेंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़ मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे– युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं को बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायता शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

31. **भुगतान** :– (1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाऐं, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं

लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जावेगा तथा सभी प्रेक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जावेंगे।

(2) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाऐगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाऐगा।

(3) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाऐगा तथा प्राप्त हुए परीक्षण विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

32. (I) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में संवीक्षा जाऐगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(II) परिसमापित नुकसानी :– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन मामलों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिसका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :–

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5 प्रतिशत
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक अवधि के लिए	5.0 प्रतिशत
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7.5 प्रतिशत
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10.0 प्रतिशत

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

33. **वसूलियाँ** :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा प्रदायकर्ता संतोषजनक ढ़ंग से

उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध, प्रतिभूति निक्षेप से की जाऐगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

34. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाऐगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

35. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

36. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

37. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

38. समस्त विधि कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नही की जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी प्रस्ताव

(मदरसों के लिए कम्प्यूटर चेयर सामग्री) – आइटम 1

<table>
<tr><td>मद का नाम एवं स्पेसीफिकेशन</td><td>मेक</td><td></td></tr>
<tr><td>कम्पयूटर ऑपरेटर चेयर
<u>Computer Operator Chair</u>

Premium chair fixed type with PU foam seat and back of 32 density covered with polyester viscose fabric of 67/33 composition. The under structure should be of capsule pipe 28 mm width of 16 gauge. It should be further supported at bottom with two nos. iron strips support of 1' width 3mm thickness seat size 18"x18" having under base of 12mm thick molded plywood. The complete iron structure should be duly powder coated.
Upholstery fabric should be duly stapled with compression stapler & not of iron nails. The base of seat should be compression stapled with non woven fabric of 40 GSM. Seat & back fitted plynut system 6 mm thickness.</td><td></td><td>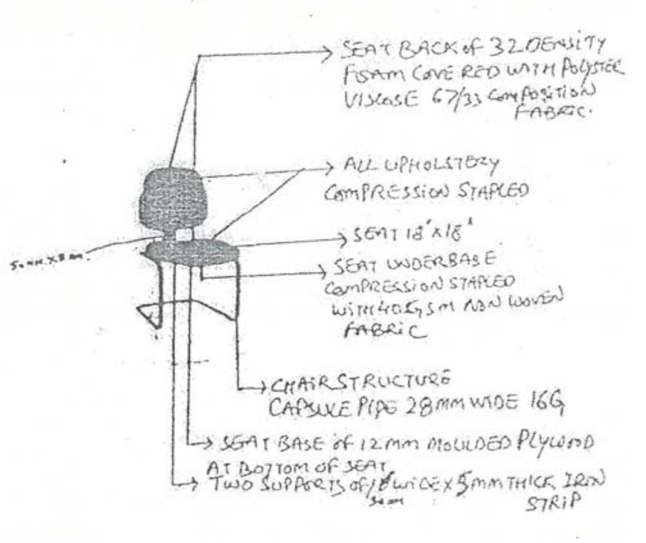

Note:
1. As per specification 2 samples have been deposited in your office.
2. Certified that our samples are as per your specification.
3. All needful documents are enclosed with this proposal.</td></tr>
</table>

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

तकनीकी प्रस्ताव

(मदरसों के लिए कम्प्यूटर टेबिल सामग्री) – आइटम 2

मद का नाम एवं स्पेसीफिकेशन	मेक	
कम्प्यूटर टेबिल 3x2 साइज टॉप (वुडन) पी.एल.टी. बोर्ड 18 एम.एम. बिडिंग सहित सिंगल दराज मय लाक की बोर्ड हेतु अतिरिक्त पी.एल.टी. बोर्ड की रनिंग दराज		**Note:** 1. As per specification 2 samples have been deposited in your office. 2. Certified that our samples are as per your specification. 3. All needful documents are enclosed with this proposal.

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

तकनीकी प्रस्ताव

(मदरसों के लिए कम्प्यूटर चेयर सामग्री) – आइटम 3

मद का नाम एवं स्पेसीफिकेशन	मेक	
स्टूडेन्ट चेयर **<u>Student Chair</u>** Student Chair with perforated metal seat & Black base duly powder coated with one arm and student desk. Perforated metal sheet 20 G having basic ¾" round pipe 16G. Seat structure should be of ¾" round pipe 16G. The seating structure frame should have 18" height. The complete structure should be duly powder coated.		**Note:** 1. As per specification 2 samples have been deposited in your office. 2. Certified that our sample specifications as per your specification. 3. All needful documents are enclosed with this proposal. 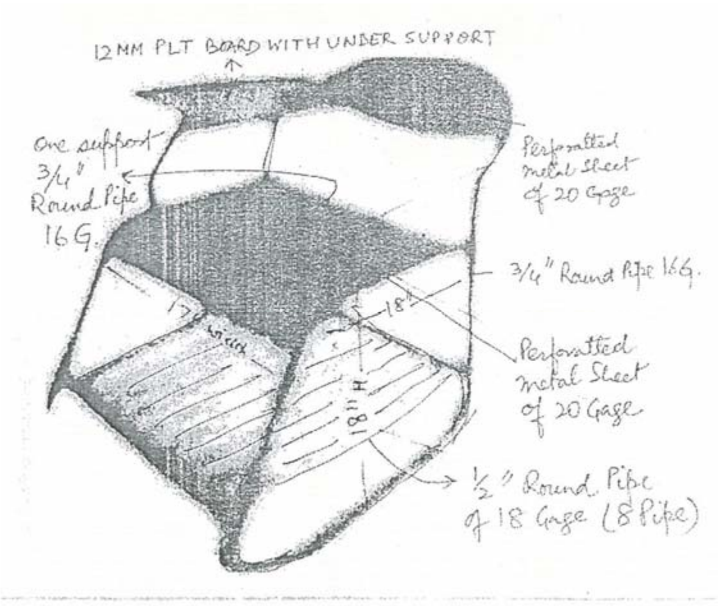

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

वांछित सामग्री एवं उनकी प्रस्तावित दर

(मदरसों के लिए कम्प्यूटर चेयर सामग्री) – आइटम 1

मद का नाम एवं स्पेसीफिकेशन	मेक	प्रस्तावित दर प्रति सामग्री
कम्पयूटर ऑपरेटर चेयर **<u>Computer Operator Chair</u>** Premium chair fixed type with PU foam seat and back of 32 density covered with polyester viscose fabric of 67/33 composition. The under structure should be of capsule pipe 28 mm width of 16 gauge. It should be further supported at bottom with two nos. iron strips support of 1' width 3mm thickness seat size 18"x18" having under base of 12mm thick molded plywood. The complete iron structure should be duly powder coated. Upholstery fabric should be duly stapled with compression stapler & not of iron nails. The base of seat should be compression stapled with non woven fabric of 40 GSM. Seat & back fitted plynut system 6 mm thickness.		1. Rate (inclusive of exice duty, cartiage packing etc.) Rs. …………… 2. VAT Rs. …………… 3. CST Rs. …………… 4. Total (1+2+3) Rs. …………… 5. Net Price Rs. …………… Net Price in words ………………………… …………………………………………...... ……………………………………………. Note: - The rates quoted above are valid upto three months 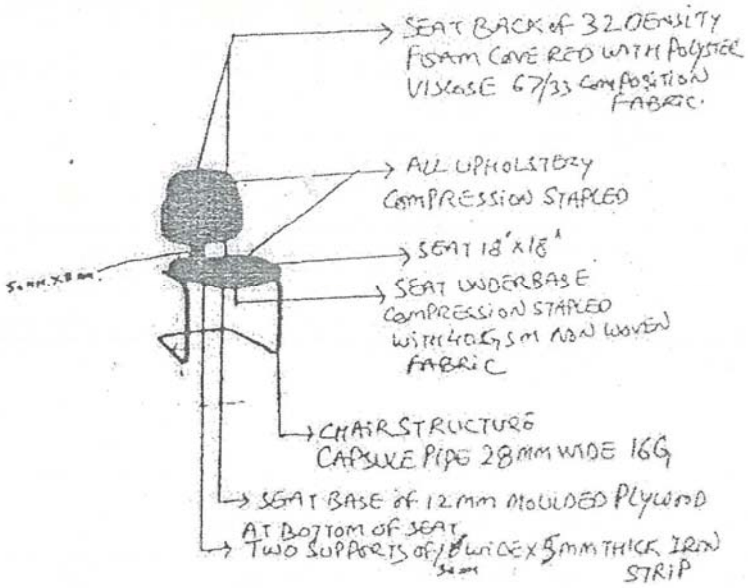

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

वांछित सामग्री एवं उनकी प्रस्तावित दर

(मदरसों के लिए कम्पयूटर टेबिल सामग्री) – आइटम 2

मद का नाम एवं स्पेसीफिकेशन	मेक	प्रस्तावित दर प्रति सामग्री
कम्पयूटर टेबिल 3x2 साइज टॉप (वुडन)		1. Rate (inclusive of exice duty, cartiage packing etc.) Rs. …………… 2. VAT Rs. …………… 3. CST Rs. …………… 4. Total (1+2+3) Rs. …………… 5. Net Price Rs. …………… Net Price in words ………………………… ……………………………………………...... ……………………………………………. Note: - The rates quoted above are valid upto three months

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

वांछित सामग्री एवं उनकी प्रस्तावित दर

(मदरसों के लिए कम्प्यूटर चेयर सामग्री) – आइटम 3

मद का नाम एवं स्पेसीफिकेशन	मेक	प्रस्तावित दर प्रति सामग्री
स्टूडेन्ट चेयर **Student Chair** Student Chair with perforated metal seat & Black base duly powder coated with one arm and student desk. Perforated metal sheet 20 G having basic ¾" round pipe 16G. Seat structure should be of ¾" round pipe 16G. The seating structure frame should have 18" height. The complete structure should be duly powder coated.		1. Rate (inclusive of exice duty, cartiage packing etc.) Rs. …………… 2. VAT Rs. …………… 3. CST Rs. …………… 4. Total (1+2+3) Rs. …………… 5. Net Price Rs. …………… Net Price in words ………………………… ……………………………………………...... ……………………………………………. Note: - The rates quoted above are valid upto three months 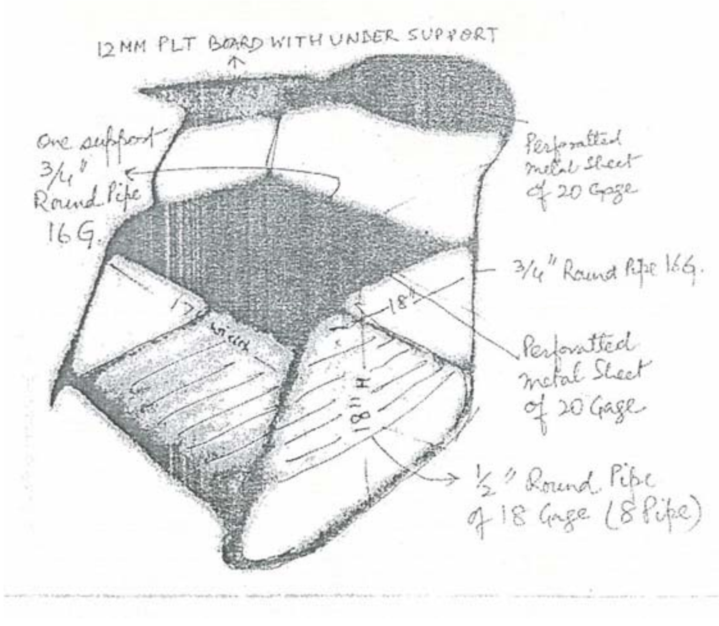

(निविदादाता के हस्ताक्षर)